16/5/2018 – प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस वकील अप्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किए हैं वे इस न्यायालय के प्र०सं० 10/2017 निर्णय दि० 15/3/2018 में निर्णय से पूर्व प्रस्तुत नहीं किए हैं। स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ये दस्तावेज प्रस्तुत करने से रह गए हैं जिन्हें किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भूमि की किस्म व दर के बारे में प्र०सं० 10/2017 में निर्णय किया जा चुका है। प्रार्थी ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। रिव्यू प्रार्थनापत्र मात्र लिपिकीय त्रुटि संशोधन हेतु स्वीकार्य है। इसके आधार पर निर्णय में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन संभव नहीं है। इस प्रार्थनापत्र में लिपिकीय त्रुटि के सम्बन्ध में कोई दाद नहीं मांगी गई। प्रार्थनापत्र में भूमि की किस्म व प्रतिकर निर्धारण की दाद मांगी गई जिसका निर्णय दि० 15/3/18 को मूल प्रकरण में किया जा चुका है। यदि आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें। ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।